अवीवा जन सुरक्षा – प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान

जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और आपको अपने प्रियजनों का भविष्य सुरक्षित करने की आवश्यकता है। अगर आपके साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए, तो आपके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, बच्चों की शिक्षा/शादी के लिए पैसे कहाँ से आएँगे, और यदि आपने कोई ऋण लिया है, तो उसे कौन चुकाएगा?

जन सुरक्षा एक जीवन बीमा योजना है जो आपको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने में मदद करती है। जबकि ज़िंदगी ख़त्म होने पर इसके लिए कोई मुआवजा नहीं हो सकता है, जन सुरक्षा सुनिश्चित करता है कि आपके साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने पर भी उनकी वित्तीय ज़रूरतें पूरी हो।

इसका लक्ष्य

- अपने आश्रितों को आपकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के जोखिम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।

अवीवा जन सुरक्षा क्या है?

- अवीवा जन सुरक्षा एक कम लागत वाली जीवन बीमा योजना है जो पॉलिसी की अवधि के दौरान आपकी मृत्यु के मामले में एकमूठ राशि का भुगतान करने की गारंटी देता है। आपको नियमित किस्त भुगतान या एकल किस्त भुगतान के विकल्पों में से एक विकल्प चुनने की आज़ादी है। एकल किस्त भुगतान के मामले में, आगे कोई और किस्त देय नहीं है।
- अवीवा जन सुरक्षा 18 वर्ष से 45 वर्ष के आयु वाले किसी भी व्यक्ति के लिए खरीदी जा सकती है। इस पॉलिसी को 5 वर्षों या 10 वर्षों की अवधि के लिए खरीदा जा सकता है और इस पॉलिसी के समाप्ति पर बीमित व्यक्ति की अधिकतम आयु क्रमशः 50 वर्ष या 55 वर्ष हो सकती है।
- अवीवा जन सुरक्षा ₹20,000 के न्यूनतम बीमित राशि से लेकर ₹50,000 के अधिकतम बीमित राशि की सीमा में किसी भी रकम के लिए खरीदी जा सकती है।

इस योजना के क्या लाभ हैं?

- पॉलिसी की अवधि के दौरान आपकी मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, आपके नामांकित व्यक्ति को बीमित राशि दी जाती है। एक दुर्घटनात्मक मृत्यु के मामले में, आपके नामांकित व्यक्ति को बीमा राशि के दो गुना बराबर राशि का भुगतान किया जाता है।
- आपका किसी भी चिकित्सा परीक्षण से गुजरना आवश्यक नहीं है।
- आपके द्वारा भुगतान की गई किस्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80c के अधीन कर छूट पाने का पात्र है।

उदाहरणः

यह उदाहरण ₹25,000 की बीमित राशि के लिए हैः

किस्त आवृत्ति	पॉलिसी की अवधि (वर्षों में)	आयु समूह के लिए किस्त (₹ में)		
		18 – 35	36 – 40	41 - 45
वार्षिक किस्त	5	175	196	225
	10	175	196	225
एकल किस्त	5	650	750	875
	10	1050	1300	1600

अतिरिक्त जानकारी

- वार्षिक किस्त के मामले में, आपको किस्त का भुगतान करने के लिए भुगतान की नियत तिथि से 30 दिनों की छूट की अवधि दी जाएगी। यदि छूट की अवधि के दौरान किस्त का भुगतान नहीं किया गया, तो पॉलिसी बिना किसी समर्पण मूल्य के व्यपगत हो जाएगी और एक व्यपगत पॉलिसी को बहाल नहीं किया जा सकता है।
- यह एक प्योर टर्म बीमा उत्पाद है, इसलिए मैचुरिटी पर कोई लाभ देय नहीं है।
- आप नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए किस्त का भुगतान कर सकते हैं।

अपवाद

12 महीनों के भीतर आत्महत्या के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु घटने परः

i) पॉलिसी के शुरुआत की तिथि से, पॉलिसी धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी, कर, अतिरिक्त किस्तों के भुगतान को छोड़कर, भुगतान की गई किस्तों का 80% रकम पाने का अधिकारी होगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभाव में हो, या

(ii) पॉलिसी के रिवाइवल की तिथि से, पॉलिसी धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी, वह रकम पाने का अधिकारी होगा, जो कर, अतिरिक्त किस्तों के भुगतान को छोड़कर, भुगतान की गई किस्तों के 80% रकम और मृत्यु की तिथि को उपलब्ध समर्पण मूल्य में से अधिक होगा।

फ्रीलुक अवधि

आपको पॉलिसी दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंतर्गत पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों की समीक्षा करने और अपनी पॉलिसी रद्द करने का अधिकार है। यदि आप अपनी पॉलिसी रद्द करते हैं, तो आपके द्वारा भुगतान की गई किस्त में से स्टाम्प ड्यूटी घटाकर आपको किस्त वापस लौटा दी जाएगी।

स्वीकृति

जोखिमों की स्वीकृति और पूरी किस्त मिलने तक अवीवा किसी भी दावे के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा।

अवीवा में ही निवेश क्यों करें?

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया – डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और यूके में स्थित एक बिमा कंपनी, अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, भारत के साथ जिसका सहयोग 1834 से रहा है। अविवा जीवन बीमा चुन कर, आप विश्व के सबसे पुराने बीमा समूहों के प्रबंधन अनुभव से लाभ प्राप्त करते हैं, इस क्षेत्र में 1696 से जिसका इतिहास रहा है। आज, अवीवा ग्रूप के 20 देशों में 43 मिलियन ग्राहक हैं (जून 2012)।

डाबर की एक प्रमुख कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड की संस्थापना वर्ष 1884 में हुई थी और यह भारत के सबसे पुराने और बड़ी कंपनियों में से एक है। यह भारत में पारंपरिक स्वास्थ्य वर्धन उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादकर्ता है।

इस पॉलिसी के तहत बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 और 38 के अधीन समय–समय पर संशोधित उपबंधों के अनुसार नामांकन एवं समनुदेशन की अनुमति है।

धारा 41

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 के अनुसार, (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिमों के संबंध में एक बीमा लेने या रिवाइव करने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन में सम्पूर्ण या आंशिक छूट या पॉलिसी पर प्रदर्शित किस्तों में कोई छूट देने के लिए प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा, और न ही पॉलिसी लेने या रिवाइव करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसी छूट को स्वीकार करेगा, केवल उन छूटों के अलावा जो बीमा कंपनी द्वारा प्रकाशित विवरण पुस्तिकाओं या तालिकाओं में स्वीकार्य हो।

उपबंधित है कि एक बीमा एजेंट द्वारा खुद या अपने जीवन पर की गई जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में कमीशन स्वीकार करने पर इसे इस उप–धारा के अर्थो के अंतर्गत किस्तों पर छूट के अधीन स्वीकार्य नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसी स्वीकृति के समय बीमा एजेंट यह प्रमाणित करते हुए विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है कि वह बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त एक असली बीमा एजेंट है।

(2) इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में यदि कोई व्यक्ति कोई चूक करता है तो उस पर दस लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

धारा 45

समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार तीन वर्षों के बाद पॉलिसी पर मिथ्या–कथन के आधार पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है।

पूछताछ एवं शिकायत

यदि आप अधिक जानकारी पाना चाहते हैं या कोई सवाल या शिकायत करना चाहते हैं, तो पीछे के तरफ दिए नंबर पर हमसे संपर्क करें।

AVIVA
| Life Insurance |

डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम
अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

मुख्य कार्यालयः अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने, डीएलएफ़ फेज–V, सेक्टर 43, गुडगाँव-122 003, हरियाणा, भारत।
फोनः +91 0124 -2709000, फैक्सः +91 0124 -2571210 , वेबसाइटः www.avivaindia.com, ई–मेलः customerservices@avivaindia.com
पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत

IRDAI पंजीकरण संख्या : 122

निगम पहचान संख्या (CIN): U66010DL2000PLC107880

फर्जी फोन कॉल और जाली/ठगी के ऑफ़र्स से सावधानः IRDA की सार्वजनिक घोषणाः • IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या फाइनैंशियल प्रोडक्ट की बिक्री या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं। • IRDA किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।

ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो अवीवा ब्रॉण्ड्स लिमिटेड का है और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड लाइसेंस के तहत इसका उपयोग करती है। कृप्या ध्यान दे कर संबंधी लाभ वर्तमान कानूनों के अनुसार लागू, जो बदल सकते हैं। कृपया घ्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज़ अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा। UIN: 122N021V02, MKT/December 2015/Ver. 1.4, Advt No.: Dec 15/15.